43

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ।
3. सभी जिला पंचायत तथा विकास अधिकारी, हरियाणा ।

यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III(2)
दिनांक, 19-12-91

विषय— विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण बारे ।

राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालय भवनों की शोचनीय दशा तथा बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए
उनकी मरम्मत इत्यादि तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु एक योजना बद्ध कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया है ।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण
का कार्य सम्बन्धित उपायुक्त की देख रेख में युद्ध स्तर पर किया जाता है और जिला के उपायुक्त द्वारा इस कार्य की प्रगति की
समीक्षा भी अपनी मासिक बैठक में की जाती है ।

1. जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे राजकीय विद्यालय भवनों की सूची (i) जिनके भवन नकारा तथा असुरक्षित हैं तथा जिन्हें
मरम्मत की नितान्त आवश्यकता है अथवा (ii) जिन विद्यालयों में अतिरिक्त श्रेणी कक्षों का निर्माण करवाया जाना है, उन पर
खर्च होने वाली अनुमानित राशि तथा विद्यालय की भिन्न-भिन्न छात्र निधियों में दिनांक 31-12-91 तक उपलब्ध राशि दर्शाते
हुए सम्बन्धित उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे ।

2. जिला स्तर पर राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं अतिरिक्त कमरों का निर्माण का कार्य करवाने के लिये
निम्नानुसार विकास योजनाओं में राशि का प्रावधान है :—

1. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में नए कमरों का निर्माण
2. विकेन्द्रित योजना स्कीम के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत ।
3. मैचिंग ग्रांट के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा कमरों का निर्माण ।
4. हरियाणा ग्रामीण विकास फण्ड की योजना के अन्तर्गत नए कमरों का निर्माण ।
5. शिक्षा विभाग के बजट में आवंटित राशि तथा जिला स्तर पर एकत्रित भवन निधि पूल मनी से विद्यालय भवनों
की मरम्मत/कमरों का निर्माण ।

जवाहर रोजगार योजना तथा हरियाणा ग्रामीण विकास फण्ड की राशि को छोड़ कर [illegible] स्कीमों की राशि को जिला
स्तर पर एकत्रित भवन निधि पूल मनी में जमा करवाया जाए । सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी [illegible]
होंगे । जवाहर रोजगार योजना तथा हरियाणा ग्रामीण विकास फण्ड की राशि से केवल राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त
कमरों का निर्माण ही करवाया जायेगा ।

3. प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में उपरोक्त कार्य हेतु एक समिति का गठन किया जाए। यह समिति जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विद्यालय भवनों की स्थिति की समीक्षा करेगी तथा विद्यालय भवनों के कार्य की प्राथमिकता प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रथम मास अर्थात 30 अप्रैल तक उपलब्ध राशि को सम्मुख रखते हुए इयर मार्किंग करेगी जिसकी एक प्रति निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भी भेजेगी। वित्तीय वर्ष 1991-92 के केवल तीन महीने शेष हैं इसलिये कथित समिति द्वारा तीन महीनों का ही कार्यक्रम दिनांक 15-1-92 तक तैयार किया जाए तथा उसकी प्रति निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा को भेजी जाए। प्राथमिकता निर्धारित करते समय पहले उन विद्यालय भवनों के मरम्मत के कार्य टेकअप किए जाएं, जिनके भवन असुरक्षित हैं तथा जिनमें अप्रिय घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कमरों का निर्माण करते समय सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालयों में श्रेणी कक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करवाया जाए तदोपरांत माध्यमिक/उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणी कक्षों के निर्माण बारे कार्यवाही की जाए। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित की जाने वाली समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे —

1. उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)
2. कार्यकारी अभियन्ता (पंचायती राज)
3. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
4. जिला के सभी उप मण्डल शिक्षा अधिकारी।

4. विद्यालय भवनों की मरम्मत/कमरों के निर्माण के कार्यों के अनुमान सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा "सिंगल फाईल" पर अतिरिक्त उपायुक्त को प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। तदोपरांत कार्य विद्यालय स्तर पर गठित की गई निर्माण समितियों द्वारा सम्पन्न किए जाएंगे। राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा कमरों के निर्माण कार्यों को उन पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि को सम्मुख रखते हुए चार भागों में विभाजित किया जाता है :-

(क) ऐसे राजकीय विद्यालय भवन, जिनकी मरम्मत/निर्माण पर 50 हजार रुपये तक की राशि खर्च होने की सम्भावना है, उन विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण का कार्य भवन निधि नियमावली 1989 के अन्तर्गत गठित की गई भवन निधि समिति द्वारा ही करवाया जाएगा।

(ख) ऐसे राजकीय विद्यालय भवन, जिनकी मरम्मत/निर्माण पर 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक की राशि खर्च होने का अनुमान है, उन विद्यालयों में समिति गठित करके कार्य सम्पन्न करवाया जाए। इस समिति का गठन निम्नानुसार किया जाए —

1. विद्यालय का सम्बन्धित मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य	समिति का अध्यक्ष/अकाऊंटिंग आफिसर
2. ब्लाक का ओवरसीयर (पंचायती राज)	टैक्नीकल सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय के पी०टी०ए० का प्रधान/सदस्य	सदस्य
4. सम्बन्धित ग्राम का सरपंच तथा ग्राम पंचायत	सदस्य
5. सम्बन्धित विद्यालय में कार्यरत कोई वरिष्ठ अध्यापक	सदस्य

इस प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु गठित की जाने वाली कमेटी का अध्यक्ष सम्बन्धित उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा अकाऊंटिंग आफिसर, सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया होगा तथा प्राथमिक विद्यालय के लिये ऐसी समितियों का अध्यक्ष सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी और अकाऊंटिंग आफिसर सम्बन्धित विद्यालय का हैड टीचर होगा। कमेटी के अन्य सदस्य उपरोक्त अनुसार ही होंगे।

(ग) ऐसे विद्यालय, जिनके भवनों पर एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की राशि खर्च होने का अनुमान है, के कार्य को सम्पन्न करवाने हेतु उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में समिति का गठन

45

किया जाए, जिसके अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे --

1. एस0 डी0 ओ0 (पंचायती राज) — टैक्नीकल सदस्य
2. सम्बन्धित उप मण्डल शिक्षा अधिकारी — सदस्य
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच तथा मेम्बर पंचायत — सदस्य
4. सम्बन्धित विद्यालय के पी0 टी0 ए0 के प्रधान/सदस्य — सदस्य
5. सम्बन्धित स्कूल का मुखिया — अकाउंटिंग आफिसर

(One Lac to Five Lacs)

(घ) ऐसे विद्यालय भवन जिसकी मरम्मत/निर्माण पर 5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक की राशि व्यय होने का अनुमान है, के कार्यों को जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करके कार्य को सम्पन्न करवाया जाएगा। इस समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे --

1. जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
2. कार्यकारी अभियन्ता (पंचायती राज) — टैक्नीकल सदस्य
3. संबंधित ग्राम का सरपंच तथा मेम्बर पंचायत — सदस्य
4. संबंधित विद्यालय का मुखिया — अकाउंटिंग आफिसर

(5 Lacs to 10 Lacs)

ADC.

नोट -- शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सदस्य के स्थान पर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान तथा सदस्य को शामिल किया जाए।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जब तक हरियाणा राज्य के सभी राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण का काय पूरा नहीं हो जाता है तब तक शिक्षा विभाग के बजट में इन कार्यों के लिये व्यवस्थित राशि (नान प्लान/प्लान) में से लोक निर्माण विभाग को केवल इस समय चल रहे, कार्य पूरे भवनों का निर्माण तथा 10 लाख रुपये से अधिक राशि के मरम्मत के कार्यों को सम्पन्न करने हेतु ही दी जाए।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके अशा0 क्रमांक 3793-3902-3 वि0 वि0 11-91/ दिनांक 29-11-91 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की गई है।

हस्ता/--
(के0 डी0 गुप्ता)
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग

दिनांक 19-12-91

पृ0 क्रमांक 23/42/91- शि0 III (2)

एक प्रति महालेखाकार हरियाणा (i) (ए एण्ड ई) (ii) आडिट चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/--
उप सचिव, शिक्षा,
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव हरियाणा, सरकार,
शिक्षा विभाग।

दिनांक 19-12-91

पृ0 क्रमांक 23/42/91- शि0 III (2)

पृ० क्रमांक 2/ ...

दिनांक 31-1-2007

एक–एक प्रति ... शिक्षा आयुक्त / निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा / निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा निदेशक ... विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

उप सचिव , शिक्षा,
कृते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

पृ० क्रमांक 2/43–200...

दिनांक 31-1-2007

एक–एक प्रति प्रधान सचिव / उप प्रधान सचिव / विशेष कार्य अधिकारी / निजी सचिव, मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ सचिव / सचिव / निजी सचिव / मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण / मुख्य संसदीय सचिव को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

उप सचिव , शिक्षा,
कृते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों / आयुक्तों एवं सचिवों , हरियाणा सरकार को सूचनार्थ प्रेषित हैं ।

उप सचिव , शिक्षा,
कृते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्तों / आयुक्तों एवं सचिवों हरियाणा सरकार

अशा० क्रमांक 2 / 43–2006 वक्फ (2)

दिनांक 31-1-2007

(2) .46

एक-एक प्रति निदेशक उच्चतर शिक्षा/निदेशक सैकण्डरी शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा निदेशक पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/-
उप सचिव, शिक्षा,
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

पृ० क्रमांक 23/42/91-शि० III (2) दिनांक 19-12-91

एक-एक प्रति प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/विशेष कार्य अधिकारी/निजि सचिव, मुख्य मन्त्री तथा वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मुख्य संसदीय सचिव को सूचनार्थ भेजी जाती है।

हस्ता/-
उप सचिव, शिक्षा,
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता/-
उप सचिव, शिक्षा,
कृते: वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

सेवा में

सभी वित्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार

अशा० क्रमांक 23/42/91- शि० III (2) दिनांक 19-12-91

22999—D.P.I.(s)—H.G.P., Chd.

(8) (43) 47

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. सभी जिला पंचायत तथा विकास अधिकारी, हरियाणा ।

यादी कमांक 2/43-2006 वर्क्स (2)
दिनांक, चण्डीगढ़ । 31-1-2007

विषय : विद्यालय भवनों की मुरम्मत/निर्माण बारे ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 43/42/91 शि-III (2) दिनांक 19.12.1991 की निरन्तरता में ।

अंकित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों के पैरा 4 (क), (ख), (ग) और (घ) में राशि के खर्च की सीमा निम्न अनुसार बढ़ाई जाती है :-

(क) 50 हजार रूपये से 1.00 लाख रूपये तक ।
(ख) 1.00 लाख रूपये से अधिक तथा 5.00 लाख रूपये तक ।
(ग) 5.00 लाख रूपये से अधिक तथा 10.00 लाख रूपये तक ।
(घ) 10.00 लाख रूपये से अधिक तथा 20.00 लाख रूपये तक ।

शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके अशा० कमांक 60/119/07-03 वि० शि०-II/108 दिनांक 30/1/2007 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की गई है ।

उप सचिव शिक्षा
O/C कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

पृ० कमांक 2/43-2006 वर्क्स (2) दिनांक 31-1-2007

एक प्रति महालेखाकार हरियाणा (I) (ए एण्ड ई) (II) आडिट चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

उप सचिव, शिक्षा,
O/C कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।